(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 377/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–1993 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 292/अपील/1984–85.

.....

1– बसंतीलाल दत्तक पुत्र देऊबाई विधवा मोतीजी(मृतक वारिसान)
अ– विजयसिंह पिता श्री बसंतीलालजी
ब– कैलाश आत्मज श्री बसंतीलाल
स– रमेश्वर आत्मज श्री बसंतीलाल
द– श्रीमती सूरजबाई विधवा श्री बसंतीलालजी
समस्त निवासीगण मोहल्ला बृद्दावनपुरा उज्जैन
क– शिवबाई पत्नि श्री पूरणसिंह पुत्री श्री बसंतीलालजी
निवासी मकान नम्बर 65/4, गली कमांक 3 जयसिंहपुरा
उज्जैन
ख– श्रीमती सावित्रीबाई पत्नि गोविंदजी पुत्री श्री बसंतीलाल
निवासी महिदपुर हाल मुकाम उज्जैन
2– रम्भाबाई जीजे पीराजी,
3– लक्ष्मण पुत्र मुन्नालालजी
समस्त निवासीगण वृंदावनपुरा उज्जैन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मूर्ति मुरली मनोहर बएहतमाम ओकाफ डिपार्टमेंट
द्वारा गोपालजी मृत वारिसान गजानंद पुत्र गोपालजी
2– कृष्णाजी फोत वारिस :–
कस्तुरीबाई विधवा कृष्णाजी
निवासी मूर्ति मुरली मनोहर मंदिर ढाबा रोड उज्जैन
3– श्रीमती आनंदीबाई पत्नि रामनारायणजी पुत्री कृष्णाजी(फौत वारिस)
निवासी ढाबा रोड उज्जैन
सुन्दरलाल आत्मज रामनारायण
निवासी जयसिंहपुरा जिला उज्जैन
4– अवंतीबाई पत्नि नाम नामालूम पुत्र कृष्णाजी
निवासी ग्राम ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन
5– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के0सी0बसंल, अभिभाषक–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 31/8/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा मनोहर मंदिर बांके की भूमि पर किया गया अवैध अतिकमण हटाये जाने संबंधी आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26–6–1973 को आदेश पारित कर आवेदकगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर अनावेदक कमांक 1 को दिलाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–4–1975 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–2–1993 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण दिनांक 19–5–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण के निराकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का वर्ष 1955 से कब्जा होने के बावजूद उन्हें बेदखल करने का आदेश देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पुजारी को वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम मानने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की होकर उसे भूमिस्वामी मूर्ति होती है इसलिये पुजारी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को देऊबाई द्वारा पटटे पर दी गई थी और पटटे की अवधि समाप्त होने का निष्कर्ष उचित नहीं है ।

(4) बसंलीलाल को देऊबाई का दत्तक पुत्र नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैधानिक भूल की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर मन्दिर की भूमि है और मन्दिर की भूमि का पट्टा देने का अधिकार पुजारी को नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण का कब्जा हटाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समतर्वी निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–1993 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर